निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 523) पटना, सोमवार, 27 जून 2016

सं0 यो03 / मु.क्षे.वि.यो.–1 / 2010—**3210** / यो.वि.,

योजना एव विकास विभाग

संकल्प

22 जून 2016

विषयः—**मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्षिका–2014 की कंडिका 6 में संशोधन** ।

विभागीय संकल्प संख्या–2905 दिनांक 11.07.2014 द्वारा प्रचालित मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका–2014 की कंडिका 6 में विभागीय संकल्प संख्या–4918 दिनांक 22.10.2014, संकल्प संख्या–579 दिनांक 02.02.2015 एवं संकल्प संख्या–3858 दिनांक 07.08.2015 द्वारा क्रमशः कंडिका 6(20), कंडिका 6 'क' एवं कंडिका 6(21) जोड़ने का निर्णय लिया गया था। पुनः उक्त कंडिकाओं में संशोधन के प्राप्त प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त पूर्व सभी कंडिकाओं को समाहित करते हुए योजनाओं की सूची में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है। मार्गदर्शिका की कंडिका–6 में वर्णित योजनाओं की यथा संशोधित सूची निम्नवत् है :–

(क) **मार्गदर्शिका की कंडिका संख्या–6** (योजनाओं का चयन) :–

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा :–

1. भवनहीन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण।
2. भवनहीन आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण।
3. गोदाम का निर्माण।
4. सामुदायिक भवन, सार्वजनिक बस पड़ाव, यात्री शेड, सार्वजनिक पुस्तकालय, वकालतखाने आदि का निर्माण।
5. नदी एवं सार्वजनिक तालाबों में घाट का निर्माण।
6. हाट एवं मेला स्थलों का विकास।
7. कला मंच / खेल के मैदान एवं स्टेडियम का निर्माण।
8. सार्वजनिक चबूतरा का निर्माण।
9. सरकारी विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित उच्च / इन्टर विद्यालयों, जिनकी भूमि महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित है, में बेंच डेस्क की व्यवस्था तथा साइकिल शेड का निर्माण।
10. सरकारी विद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित उच्च / इन्टर विद्यालयों / महाविद्यालयों, जिनकी भूमि महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित है, के पुस्तकालय भवनों का निर्माण (फर्नीचर सहित), उपरोक्त पुस्तकालय एवं वकालतखाने के पुस्तकालय में पुस्तक क्रय, यदि पुस्तकालय का सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।

11. राजकीय, राजकीयकृत तथा प्रोजेक्ट उच्च विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित उच्च/इन्टर विद्यालयों, जिनकी भूमि महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित है, में चाहरदीवारी निर्माण।
12. सरकारी मदरसा जो पूर्ण रूपेण सरकार के नियंत्रणाधीन है तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा, जिनकी भूमि महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित है, में चाहरदीवारी का निर्माण, बेंच डेस्क की व्यवस्था तथा साइकिल शेड का निर्माण।
13. विकलांगों के कल्याण के लिए तिपहिया साईकिल एवं पहियेदार कुर्सी (हस्तचालित/बैट्री चालित)।
14. ब्रेडा/निर्माता के अधिकृत एवं ख्यातिप्राप्त विक्रेता से निविदा के माध्यम से सोलर लाईट का अधिष्ठापन।
15. सरकारी अस्पताल हेतु रोगीवाहन/शववाहन का क्रय।
16. सार्वजनिक स्थल पर नये चापाकल का अधिष्ठापन/जलापूर्ति योजना।
17. अनुमण्डल/प्रखण्ड में सभाकक्ष का निर्माण
18. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत निर्मित पुस्तकालयों एवं सामुदायिक भवनों में उपस्कर एवं पुस्तक का क्रय
19. सरकारी जमीन पर पार्क बनाना तथा बने पार्क का विकास करना
20. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसा तथा संस्कृत विद्यालयों का भवन एवं छात्रावास निर्माण
21. विद्यालयों में पुस्तकों को संरक्षित करने के लिए बुक सेल्फ का निर्माण।
22. स्टेडियम में जिम, खेल सामग्री (1 लाख से कम राशि का) क्रय की योजना
23. उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कमरा एवं शौचालय के निर्माण की योजना
24. वैसे प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, जहाँ कमरों एवं शौचालय का अभाव है और पूर्व से किसी मद से संबंधित कोई योजना स्वीकृत नहीं है, में कमरा एवं शौचालय निर्माण की योजना।
25. सरकारी अस्पतालों, प्रखंड–सह–अंचल कार्यालयों, वकालतखाना में जन सुविधायुक्त प्रतीक्षालय निर्माण की योजना
26. अग्निशामक गाड़ी (दमकल) के क्रय की योजना बोरिंग तथा हाइड्रेंट के साथ अथवा बोरिंग एवं हाइड्रेंट के बिना।
27. सार्वजनिक चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण {मूर्ति (Statue) अधिष्ठापन रहित}।
28. सरकारी भूमि पर निर्मित शौचालय रहित आँगनवाड़ी केन्द्र में पेयजल सहित शौचालय का निर्माण।
29. सामुदायिक भवन में चाहरदीवारी एवं शौचालय के निर्माण।
30. विद्युत शवदाहगृह का निर्माण
31. अन्य योजनाएँ जो समय–समय पर सरकार द्वारा निदेशित हों।

कंडिका संख्या–6 'क' :–

''परन्तु मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं के तहत प्रतिबंधित कार्यों की दृष्टांत सूची निम्न प्रकार होगी :–

1. किसी भी प्रकार के चल–अचल परिसंपत्ति की मरम्मति एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य।
2. मूर्ति स्थापना, निजी संस्थानों, व्यक्ति विशेष, अनाधिकृत क्षेत्रों/कॉलोनियों तथा धार्मिक स्थल के निर्माण संबंधित कोई भी कार्य।
3. अंशदान, अनुदान एवं ऋण।
4. भूमि का अधिग्रहण अथवा अधिग्रहित भूमि के लिए कोई मुआवजा राशि का भुगतान।
5. अनुमान्य अचल एवं सचल परिसंपत्तियों पर किसी प्रकार का आवर्ती व्यय एवं राजस्व भुगतान।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 523–571+10–**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in